



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-49/2016-1053 दिनांक : 17.08.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर/
उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित "पलामू व्याघ्र योजना" के अंतर्गत अनावर्ती कार्य (60:40) के लिए **रु0 180.872 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख सतासी हजार दो सौ रूपये)** तथा आवर्ती कार्य (50:50) के लिए **रु0 248.096 लाख (दो करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार छः सौ रूपये)** कुल **रु0 428.968 लाख (चार करोड़ अठाईस लाख छियात्ते हजार आठ सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-33/2018-23/स्वी0 व0प0 दिनांक 16.08.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट- 33/2018-69/आ0, 70/आ0, 71/आ0 तथा 72/आ0 व0प0 दिनांक 16.08.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष- 110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष- 08 पलामू व्याघ्र योजना अनावर्ती कार्य (60:40) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **180.872 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख सतासी हजार दो सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

(क) केन्द्रांश (60%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C240602110080103	85.032
आपूर्ति एवं सामग्री	19C240602110080323	23.491
कुल :-		108.523

(क) राज्यांश (40%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240602110080103	56.688
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240602110080323	15.661
कुल :-		72.349

बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष-110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष-21 प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना आवर्ती कार्य (50:50) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 248.096 लाख (दो करोड़ अड़तालीस लाख नौ हजार छः सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

(क) केन्द्रांश (50%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C240602110210103	114.952
आपूर्ति एवं सामग्री	19C240602110210323	9.096
कुल :-		124.048

(क) राज्यांश (50%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240602110210103	114.952
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240602110210323	9.096
कुल :-		124.048

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 एवं 2** पर वर्णित उप निदेशक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. स्ट्राईक फोर्स एवं टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना पर किये जाने वाले व्यय श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप अथवा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर प्राप्ति के पश्चात् किया जायेगा।

4. कार्य योजना में अंकित Public Procurment के सारे कार्य मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2218 दिनांक 01.09.2017 में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

5. कार्य योजना में अंकित अवयवों का दर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसूचित दर तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

7. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. किसी भी तरह का भुगतान सिर्फ बैंक खाता में ट्रान्सफर के माध्यम से ही किया जायेगा। नगद रूप से राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान केवल आधार लिंग बैंक खाता में ट्रान्सफर अथवा A/c payee चेक के माध्यम से किया जायेगा।
10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जायेगी।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारित व्यय को वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस हेतु निर्धारित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत आवंटित राशि तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से विमुक्त राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि का स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।
15. इस योजना के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संवर्द्धन के कार्यों का सम्पादन ईको डेवलपमेंट समितियों के सहयोग से किया जायेगा।
16. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह के 10वीं तारीख से पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के माध्यम से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक/ क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के नियमों का सतत पालन किया जा रहा है।
17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर सुनिश्चित किया जायेगा कि कराये गये कार्य Tiger Conservation Plan and Annual Plan of Operation के अनुरूप सम्पादित किये गये हैं।
18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।



19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 4-1 (16)/2018-PT दिनांक 20.06.2018 में निहित सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य योजना का 80 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है, तदनुसार सभी स्वीकृत कार्यों के लिए कर्णांकित राशि का 80 प्रतिशत राशि उप आवंटित की जा रही है।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-49 / 2016-1053

दिनांक- 17.08.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-49 / 2016-1053

दिनांक- 17.08.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय (फ 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना "पलामू ब्याघ योजना" (60:40) के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय हेतु प्रमाण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(As per APO Sanctioned - 2018-19)

अनावर्तक व्यय (60:40)

(राशि लाख ₹0 में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या / यूनिट	दर	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम			संख्या / यूनिट	दर	उप निदेशक, पलामू ब्याघ परियोजना, उत्तरी प्रमाण्डल, मैदिनीनगर			कुल
						उप निदेशक, पलामू ब्याघ परियोजना, उत्तरी प्रमाण्डल, मैदिनीनगर	कुल	मजदूरी			आपूर्ति एवं सामग्री	उप निदेशक, पलामू ब्याघ परियोजना, दक्षिणी प्रमाण्डल, मैदिनीनगर	कुल	
1	अवैध शिकार का रोकथाम	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	स्वईक फोर्स को स्थापना पर व्यय।	Core Zone	बल	25	198000.00 प्रति व्यक्ति	39.600	39.600	0.000			0.000	0.000	0.000	39.600
(ख)	टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स को स्थापना पर व्यय।	Core Zone	Section	15	74062.00 प्रति व्यक्ति 85176.00 प्रति व्यक्ति	49.769	49.769	0.000	15	74062.00 प्रति व्यक्ति 85176.00 प्रति व्यक्ति	39.551	39.551	0.000	89.320
(ग)	टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स एवं स्वईक फोर्स के लिए फिज्ड गियर एवं फिज्ड किट पर व्यय।	Core Zone	Field Gear	100	4000.00 प्रति व्यक्ति	3.200	0.000	3.200	60	4000.00 प्रति व्यक्ति	1.920	0.000	1.920	5.120
(घ)	वायरलेस नेटवर्क को स्थापना पर व्यय। (बैतार हैण्ड सेट का क्रय)	Buffer Zone	बैतार यंत्र	2	50000.00 प्रति सेट	0.800	0.000	0.800	1	50000.00 प्रति सेट	0.400	0.000	0.400	1.200
कुल:-						93.369	89.369	4.000			41.871	39.551	2.320	135.240
2	मूल-भूत संरचनाओं का विकास।													
(क)	Procurement of Hardware (Large Range Finder, GPS, Binocular & Field Camera) पर व्यय।	Core Zone	Hardware	40 Range Finder 2 Desktop Computer 65 Smart Phone	18000.00 40000.00 8827.00	10.990	0.000	10.990	60 Range Finder 4 Desktop Computer 85 Smart Phone	18000.00 40000.00 8827.00	15.922	0.000	15.922	26.912
(ख)	सुरक्षा योजना की छपाई हेतु Satellite imageries पर व्यय।	Core Zone	Satellite			0.000	0.000	0.000	2	25000.00 प्रति सुरक्षा योजना	0.400	0.000	0.400	0.400
कुल:-						10.990	0.000	10.990			16.322	0.000	16.322	27.312
3	मानव-व्ययप्रणाली इंटर													
(क)	भाषा उत्पन्न करने वाले व्ययप्रणालियों को पकड़ने हेतु केब का क्रय।	Core Zone	केब	1	100000.00 प्रति	0.800	0.000	0.800	1	100000.00 प्रति	0.800	0.000	0.800	1.600
कुल:-						0.800	0.000	0.800	1		0.800	0.000	0.800	1.600

क्र० सं०	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या / यूनिट	दर	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर			संख्या / यूनिट	दर	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर			कुल
						कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री			कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	कर्मचारियों के क्षमता विकास कार्यक्रम													
(क)	Specialized Training in Grassland management planning, Specialized Training for Tiger Estimation in 36 Division for Phase-I in State	Buffer Zone	प्रशिक्षण	36	20000.00 प्रति प्रशिक्षण (for Tiger Estimation)	5.760	5.760	0.000	4	50000.00 प्रति प्रशिक्षण (Grassland management planning)	1.600	1.600	0.000	7.360
(ख)	जी०आई०एस० एवं अर्बैथ शिकार को रोकथाम हेतु विशेष प्रशिक्षण।	Buffer Zone	विशेष प्रशिक्षण।			0.000	0.000	0.000	4	50000.00 प्रति प्रशिक्षण	1.600	1.600	0.000	1.600
(ग)	Dissemination Workshops (for park staff and officials regarding park management, Habitat, management, Wildlife Management, Wildlife Crime Control)	Core Zone	Workshops	9	30000.00 प्रति Workshop	2.160	2.160	0.000			0.000	0.000	0.000	2.160
कुल:-														
6	इको विकास					7.920	7.920	0.000			3.200	3.200	0.000	11.120
(क)	पलामू ब्याघ्र आरक्ष की परिसी एवं उसके अन्दर पालतू पशुओं के टीकाकरण पर व्यय।	Buffer Zone	टीकाकरण	10 कैम्प	10000.00 प्रति कैम्प	0.800	0.240	0.560	10 कैम्प	10000.00 प्रति कैम्प	0.800	0.240	0.560	1.600
(ख)	बैसिक हेल्थ केयर/हेल्थ कैम्प का आयोजन।।	Buffer Zone	Health Care	10 कैम्प	20000.00 प्रति कैम्प	1.600	0.400	1.200	15 कैम्प	20000.00 प्रति कैम्प	2.400	0.800	1.600	4.000
कुल:-														
महाकुल:-														
सारांश (राशि लाख ₹० में)														
प्राथमिक इकाई														
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम														
उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना														
उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।														
उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना														
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।														
सकल योग:-														
141.720														
39.152														
180.872														

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना "पलामू व्याघ्र योजना" (50:50) के अन्तर्गत आवर्तक व्यय हेतु प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(As per APO Sanctioned - 2018-19)

आवर्तक व्यय (50:50)

(राशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या / यूनिट	दर	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम			संख्या / यूनिट	दर	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना का पदनाम			कुल	
						उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर					उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर				
						कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री			कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री		
1	अवैध शिकार की रोकथाम			3											
1	अकुशल दैनिक श्रमिक/ट्रेकर की मजदूरी	Buffer Zone	Trekker/ Dailywager	128	74062.00 प्रति व्यक्ति	75.840	75.840	0.000	128	74062.00 प्रति व्यक्ति	75.840	75.840	0.000	151.680	
(ख)	बेलार यंत्रों का रख-रखाव, फलोव जुजर युध एवं मोबाईल रिचार्ज सहित	Core Zone	बेलार यंत्र	बेलार यंत्र रख रखाव 15	5000.00 प्रति सेट 7000.00 प्रति सेट 10000.00	0.800	0.000	0.800	बेलार यंत्र रख रखाव 15	5000.00 प्रति सेट 7000.00 प्रति सेट 10000.00	1.440	0.000	1.440	2.240	
(ग)	विभागीय मोटरसाईकिल का रख-रखाव	Core Zone	वाहन	15	10000.00 प्रति	1.200	0.000	1.200	15	10000.00 प्रति	1.200	0.000	1.200	2.400	
(घ)	गुप्त सूचना पर व्यय।	Core Zone	गुप्त सूचना			0.600	0.600	0.000			0.600	0.600	0.000	1.200	
(च)	स्थानीय व्यक्तियों एवं पुलिस की सहायता से रेलवे स्टेशन, लोकल ट्रेन, बस बड़ाव एवं अन्य स्थानों पर औचक छापामारों पर व्यय।	Core Zone	छापामारो			1.200	0.000	1.200			0.000	0.000	0.000	1.200	
(ज)	ट्रेकर की मजदूरी	Core Zone	Trekker/ Dailywager	65	74062.00 प्रति व्यक्ति	38.512	38.512	0.000	65	74062.00 प्रति व्यक्ति	38.512	38.512	0.000	77.024	
(झ)	फिल्ड गियर/कैमरा दैप/अन्य उपकरण के रख-रखाव पर व्यय।	Buffer Zone	उपकरण	कैमरा दैप का रख-रखाव 200 कैमरा दैप बैटरी का क्रय-3200	278.46.00 प्रति कैमरा 25.00 प्रति बैटरी	1.086	0.000	1.086	कैमरा दैप का रख-रखाव 218 कैमरा दैप बैटरी का क्रय-3488	278.46.00 प्रति कैमरा 25.00 प्रति बैटरी	1.186	0.000	1.186	2.272	
कुल:-						119.238	114.952	4.286			118.778	114.952	3.826	238.016	

क्र० सं०	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या / यूनिट	दर	उप निदेशक, पलामू ब्याथ परिशोजना उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर			संख्या / यूनिट	दर	उप निदेशक, पलामू ब्याथ परिशोजना दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर			कुल
						कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री			कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	मूल-भूत संरचनाओं का सुदृढीकरण													
(क)	वाहन का रख-रखाव।	Buffer Zone	वाहन	जिम्सी-2 ट्रक-2 जीप-1 बालेरी-1 एसकारियो-1 ड्रैक्टर-1 फायर टेण्डर-2 कैन्टर-1	60000.00 प्रति वाहन	5.280	0.000	5.280	ट्रक-1 जीप-1 बालेरी-2 एसकारियो-2 मंडिकल बैन-1 फायर टेण्डर-1 एमवेक्टर-1 क्वॉलिस-1	60000.00 प्रति वाहन	4.800	0.000	4.800	10.080
					कुल:-	5.280	0.000	5.280			4.800	0.000	4.800	10.080
					महाकुल:-	124.518	114.952	9.566			123.578	114.952	8.626	248.096
सारांश (राशि लाख ₹० में)														
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम					निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम									
मजदूरी					प्राथमिक इकाई									
आपूर्ति एवं सामग्री														
कुल														
उप निदेशक, पलामू ब्याथ परिशोजना उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।														
उप निदेशक, पलामू ब्याथ परिशोजना दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।														
सकल योग:-														

प्रधान मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
शाराखाड, राँची

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240602110080103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी Central Scheme (State Share)	49676	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	1,751,600.00 रुपये सत्रह लाख इकावन हजार सौ
State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)				
5	C 19 240602110080323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Central Scheme	49673	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	1,053,000.00 रुपये दस लाख तीरपन हजार
State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)				
6	C 19 240602110080323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Central Scheme	49674	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	1,296,100.00 रुपये बारह लाख छयानवे हजार एक सौ
State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)				

योग:

4,100,700.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड पैसठ लाख इक्कीस हजार एक सौ

16,521,100.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DIBACHAMMANI(S)RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं ध्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240602110080323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू ब्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Central Scheme (State Share)	49677	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	702,000.00 रुपये सात लाख दो हजार
State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319)				
Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)				
8	S 19 240602110080323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू ब्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Central Scheme (State Share)	49678	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S ORTH.DIV.MED	864,100.00 रुपये आठ लाख चौसठ हजार एक सौ
State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319)				
Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)				
9	C 19 240602110210103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी Central Scheme	49679	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	5,747,600.00 रुपये सत्तावन लाख सैतालीस हजार छः सौ
State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421)				
Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)				
योग:				7,313,700.00
रुपये दो करोड अडतीस लाख चौतीस हजार आठ सौ				23,834,800.00
क्रमिक योग:				

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. BACHHAWAN (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	C 19 240602110210103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी Central Scheme State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)	49680	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	5,747,600.00 रुपये सत्तावन लाख सैतालीस हजार रु: सी
11	S 19 240602110210103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी Central Scheme (State Share) State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)	49683	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	5,747,600.00 रुपये सत्तावन लाख सैतालीस हजार रु: सी
12	S 19 240602110210103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी Central Scheme (State Share) State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)	49684	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	5,747,600.00 रुपये सत्तावन लाख सैतालीस हजार रु: सी

योग:

17,242,800.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड दस लाख सित्योत्तर हजार रु. सी

41,077,600.00


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DADHWAN (MAIFS) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	C 19 240602110210323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Central Scheme	49681	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	478,300.00 रुपये चार लाख अठहत्तर हजार तीन सौ
State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421)				
Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)				
14	C 19 240602110210323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Central Scheme	49682	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S ORTH.DIV.MED	431,300.00 रुपये चार लाख इकतीस हजार तीन सौ
State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421)				
Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)				
15	S 19 240602110210323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Central Scheme (State Share)	49685	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	478,300.00 रुपये चार लाख अठहत्तर हजार तीन सौ
State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421)				
Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)				



योग:

1,387,900.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड चौइस लाख पैसठ हजार सौ

42,465,500.00

(SHRI SACHIN KUMAR)

PCCF, DEBARKHANA(S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240602110210323 2406 - दानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय दानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Central Scheme (State Share)	49686	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	431,300.00 रुपये चार लाख इकतीस हजार तीन सौ



State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421)
Central Scheme : PROJECT TIGER(0155)



योग:

431,300.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड अठाइस लाख छयानवे हजार आठ सौ

42,896,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D(BADHAWAN)RANCHI